



भारत सरकार
खान मंत्रालय
भारतीय खान ब्यूरो,
क्षेत्रीय खान नियंत्रक कार्यालय, रायपुर
द्वितीय तल, जी० एस० आई० फील्ड प्रशिक्षण केन्द्र, महालेखाकार कार्यालय परिसर,
पोस्ट-विधानसभा, रायपुर-492005 (छत्तीसगढ़)
फोन एवं फैक्स-0771-2282530, 2285590/95 ई-मेल: ro.raipur@ibm.gov.in



प्रेषिति-

श्री अजय कपूर,
नामित खान मालिक,
नंदिनी खुन्दिनी चूनापत्थर खान,
सर्वश्री ए. सी. सी. लिमिटेड,
सीमेंट हाउस-121, एम. के. रोड,
मुंबई, महाराष्ट्र-400020
ईमेल- ajay.kapur@adani.com

श्री सुदीप्ता मंडल, खान एजेंट,
नंदिनी खुन्दिनी चूनापत्थर खान,
सर्वश्री ए. सी. सी. लिमिटेड,
जामुल सीमेंट वर्क्स, जिला-दुर्ग,
छत्तीसगढ़ -490024
ईमेल- sudipta.mondal@adani.com

विषय : छत्तीसगढ़ राज्य के दुर्ग जिले में स्थित आपके नंदिनी खुन्दिनी चूनापत्थर खान, 53.57 हैक्टर (खान कोड-38CHG05024) में खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 (यथा संशोधित) के नियमों के उल्लंघन के संबंध में ।

महोदय,

उपरोक्त खान का निरीक्षण दिनांक 20.12.2024 को अधोहस्ताक्षरी द्वारा श्री मुकेश प्रसाद, खान प्रबंधक की उपस्थिति में किया गया तथा खान के निरीक्षण के उपरांत पाया गया कि आपने खनिज संरक्षण विकास नियमावली 2017 (यथा संशोधित) के निम्नलिखित नियमों का उल्लंघन किया है ।

| नियम | उल्लंघन के प्रकार का विस्तृत ब्यौरा |
|-------|---|
| 11(1) | <p>The Mining operations required to be carried out in accordance with the mining plan approved, modified or reviewed by the Indian Bureau of Mines. However, during inspection of the mine, mining operations observed not carried out in your aforesaid mine in accordance with the Modification of Review of Mining Plan (MRMP) approved dated 18.01.2024 to the extent indicated below: -</p> <ol style="list-style-type: none"> Mining lease boundary pillars in between BP No. 10 to 39 are not found posted/maintained at the site as per the condition specified at point no.15 of the approval letter of Modification of Review of Mining Plan (MRMP) dated 18/01/2024 and as shown in the approved Mining Plan (on surface plan and other plans). Environmental protective measures around the lower periphery of the waste dump D-1 (situated in Northern and Eastern side of ML) have not been found constructed as shown existing/envisaged in approved Mining Plan. <p>Hence, above are observed to be against the systematic & scientific development of mines and also against the protection of environment in the mine.</p> |

02. इस संदर्भ में आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है कि उपरोक्त नियमों का उल्लंघन खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 (यथा संशोधित) के नियम 62 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है एवं उपरोक्त नियमों का अनुपालन नहीं होने पर आपके विरुद्ध अभियोग याचिका दायर किया जा सकता है एवं खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के नियम 11(2) के अंतर्गत खान की समस्त खनन संक्रियाएं बंद की जा सकती है ।

03. अतः आपको यह सलाह दी जाती है कि आप उपरोक्त नियमों का उल्लंघन का अतिशीघ्र सुधार करें एवं इस पत्र के जारी होने के 45 दिन के अंदर इस कार्यालय को सूचित करें।

भवदीय,

(प्रेम प्रकाश)
क्षेत्रीय खान नियंत्रक
भारतीय खान ब्यूरो

प्रतिलिपि: सूचनार्थ) - ईमेल द्वारा

1. खान नियंत्रक (मध्य), भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर-440001।
2. संचालक, भौमिकी एवं खनिकर्म, इंद्रावती भवन, द्वितीय तल, डी ब्लॉक, अटल नगर, छत्तीसगढ़। ईमेल- dgm.cg@nic.in
3. श्री मुकेश प्रसाद, खान प्रबंधक, नंदिनी खुन्दिनी चूनापत्थर खान, सर्वश्री ए. सी. सी. लिमिटेड, जामुल सीमेंट वर्क्स, जिला-दुर्ग, छत्तीसगढ़ -490024। ईमेल- mukesh.dinesh.prasad@adani.com

हस्ता/-
क्षेत्रीय खान नियंत्रक
भारतीय खान ब्यूरो